कायोलय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

—:आदेश:—

श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा कार्यालय को एक आवेदन समर्पित किया गया जिसके माध्यम से सूचित किया गया कि परमिट संख्या–BR2021-SC-1511A, आवृत्त वाहन संख्या–BR06PE-4945 के स्थान पर वाहन संख्या–BR22PA-5986 का प्रतिस्थापन गलत ढंग से कराया गया है। वाहन संख्या–BR06PE-4945 एक स्कूल बस मॉडल है जिसका नियम के विरूद्ध परमिट निर्गत कराया गया है साथ ही मूल वाहन एवं प्रतिस्थापित वाहन में वाहन स्वामी का नाम अलग–अलग है।

आवेदन में लगाये गये आरोपों का कार्यालय से जाँच कराने पर वाहन संख्या–BR06PE-4945 के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथमदृष्टया सही पाया गया। जिसके पश्चात वर्णित परमिट पर आवृत्त वाहन के परिचालन पर रोक लगाते हुए वाहन स्वामी से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

वाहन स्वामी श्री दिनेश वास्ते लवकुश बस सर्विस प्रा0 लि0, C/O ध्रुव कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि सुनवाई के बिना/पूर्व सूचना के परमिट निलंबन नियमानुकूल नहीं है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात पत्रांक–331 दिनांक–10.06.2025 द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर में दिनांक–18.06.2025 समय–13:00 बजे निर्धारित किया गया।

सुनवाई की निर्धारित तिथि दिनांक–18.06.2025 को परमिटधारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा स्कूल बस पर परमिट उठाया गया परन्तु मेरे संज्ञान में आते ही आवृत्त वाहन का प्रतिस्थापन वाहन संख्या–BR22PA-5986 से करा लिया गया है।

आरोपकर्त्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया कि वाहन संख्या–BR06PE-4945 का मॉडल स्कूल बस था जिसपर केवल स्कूल बस परमिट निर्गत किया जा सकता है इसलिए परमिट संख्या–BR2021-SC-1511A अवैध है। इनके द्वारा सूचित किया गया कि वाहन संख्या–BR06PE-4945 एक फर्म के नाम से निबंधित है जबकि वाहन संख्या–BR22PA-5986 एक व्यक्ति के नाम से निबंधित है जिसका प्रतिस्थापन नियमानुकूल नहीं है साथ ही प्रतिस्थापित संख्या–BR22PA-5986 का परिचालन आवंटित रूट पर नहीं करते हुए स्कूल में किया जाता है।

उक्त सुनवाई के आलोक में पत्रांक–345 दिनांक–26.06.2025 के द्वारा मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से टॉल प्लाजा के माध्यम से जाँच कर विगत छः माह की परिचालन से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिसम्बर–2024 से 23.06.2025 तक कुल 01 दिन वाहन का परिचालन किया गया है।

उपरोक्त आरोप के आलोक में की गयी सुनवाई, कार्यालय से अभिलेखीय जाँच एवं मोटरयान निरीक्षक से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि :–

1. वाहन संख्या–BR06PE-4945 का मॉडल स्कूल बस है जिसका मॉडल स्टेज कैरेज परमिट वाहन हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं है।
2. वाहन संख्या–BR06PE-4945 एक फर्म के नाम से निबंधित है जबकि वाहन संख्या–BR22PA-5986 एक व्यक्ति के नाम से है जिसका प्रतिस्थापन नियमानुकूल नहीं है।
3. प्रतिस्थापित वाहन संख्या–BR22PA-5986 का नियमित परिचालन नहीं करना परमिट शर्त्तों का उल्लंघन है। इससे एक तरफ वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित समय पर वाहन का परिचालन नहीं करने से यात्रियों को भी असुविधा होती है और दूसरी तरफ इस आवंटित समय पर अन्य वाहनों को परमिट नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में मोटरयान अधिनियम–1988 एवं बिहार मोटरयान नियमावली–1992 में निहित प्रावधानों के आलोक में परमिट संख्या–BR2021-SC-1511A को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए टाइम स्लॉट Free किया जाता है।

27.06.25

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक–374**/परि0,** **दिनांक–**27/06/2025

प्रतिलिपिः–आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–प्रधान सहायक/लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–संबंधित वाहन स्वामी को सूचनार्थ प्रेषित।

27.06.25

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर।